पत्र संख्या–6 / योजना–01–10 / 2017गृ0आ0........................... /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक अप्रील, 2017

विषयः– **पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल एवं पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया रेलवे स्टेशनों पर रेल थाना भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्येक रेल थाना के निर्माण हेतु ₹ 80.93 लाख (अस्सी लाख तिरानवे हजार रू0) मात्र की दर से कुल लागत राशि ₹ 161.86 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख छियासी हजार रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 161.86 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख छियासी हजार रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–887 / आधु0, दिनांक–23.01.2017 के संबंध में कहना है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल एवं पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया रेलवे स्टेशनों पर रेल थाना भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्येक रेल थाना के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 80.93 लाख (अस्सी लाख तिरानवे हजार रू0) मात्र की दर से कुल लागत राशि ₹ 161.86 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख छियासी हजार रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 161.86 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख छियासी हजार रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 161.86 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख छियासी हजार रू0) मात्र राज्य स्कीम अन्तर्गत माँग संख्या–22 के मुख्यशीर्ष–''4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–051–निर्माण उपशीर्ष–0101–पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण'' विस्तृत शीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य, विषय शीर्ष–01–मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–22–4055.00.051.0101.53.01 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6 / योजना–01–10 / 2017गृ0आ0 के टि0 पृ0–5 / टि0 पर दिनांक–10.04.2017 को प्राप्त है।

11. उपर्युक्त में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6 / योजना–01–10 / 2017गृ0आ0.........3200........ / पटना, दिनांक 19 अप्रील, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष– सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/04/17

सरकार के अवर सचिव